

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०) कैम्प रीवा (म०प्र०)

बिगशनी 430-III-15

राजस्व प्रकरण क०-..... /2015

श्री. शिवप्रसाद लिहारी. एड.
द्वारा आज दिनांक 12.2.15 के
प्रस्तुत किया गया।

सिडर
सर्किट कोर्ट रीवा



RS. 20/-

- 1- कमलेश्वर प्रसाद तनय श्री रामकृपाल निवासी ग्राम मनिकवार क०-2 तहसील रायपुर कर्चुलियान, हाल तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म०प्र०)
- 2- अरुण कुमार दुबे तनय श्री चन्द्रभान प्रसाद दुबे
- 3- अशोक कुमार दुबे तनय श्री चन्द्रभान प्रसाद दुबे
- 4- रमेश कुमार दुबे तनय श्री चन्द्रभान प्रसाद दुबे
- 5- दिनेश कुमार दुबे तनय श्री चन्द्रभान प्रसाद दुबे
- 6- राजेश कुमार दुबे तनय श्री चन्द्रभान प्रसाद दुबे
- 7- उमेश कुमार दुबे तनय श्री चन्द्रभान प्रसाद दुबे

क्रमांक 4588

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज

दिनांक 12.2.15 को प्रा.

राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर

सभी निवासी ग्राम छोटा मनिकवार क०-2, तहसील रायपुर कर्चुलियान, हाल तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म०प्र०)

श्रीमती सरोज तिवारी पत्नी वेद प्रकाश तिवारी पुत्री श्री चन्द्रभान प्रसाद दुबे, निवासी ग्राम हेडवार, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म०प्र०) — आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- हीरामणि दुबे तनय श्री कौशल प्रसाद दुबे
- 2- काशी प्रसाद दुबे तनय श्री कौशल प्रसाद दुबे
- 3- राजेन्द्र प्रसाद दुबे तनय श्री कौशल प्रसाद दुबे
- 4- राजेश्वरी प्रसाद दुबे तनय श्री कौशल प्रसाद दुबे
- सभी निवासी ग्राम छोटा मनिकवार क०-2, तहसील रायपुर कर्चुलियान, हाल तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म०प्र०)
- 5- विश्वनाथ साकेत सरपंच ग्राम पंचायत क्षेत्र मनिकवार क०-2, जिला रीवा (म०प्र०)

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 430/111/15..... जिला शीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.12.15	<p>कार्यवाही (यु.ए.)</p> <p>कार्यवाही तथा आदेश</p> <p>शीवा</p> <p>प्रकरण में आवेक अधिवक्ता एवं कैबिनेट कर्मी आवेक के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों तथा निगम की भूमि एवं कैबिनेट आदेश में अंकित तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया।</p> <p>उभय पक्ष अधिवक्ताओं के निवेदन पर विचार किया गया तथा प्रकरण के संलग्न समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पता चला कि अप्र. आयुक्त द्वारा अपने अधिपत्र आदेश दिनांक 9-12-2014 से प्रकरण अपर कैबिनेट शीवा को प्रव्यापक किया गया है, जबकि संविदा की धारा 49 में यह स्पष्ट रूप से पाबंद किया गया है कि कोई भी प्रकरण अपील में अधीनस्थ-आयुक्त को प्रव्यापक नहीं किया जावेगा। ऐसी स्थिति में निहित प्रावधानों के विपरीत अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 9-12-14 होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त को आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में स्वयं गुण-पौष के आधार पर निर्णय पारित करें। उक्त निर्देशों के अन्तर्गत निगम की इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ-आयुक्तों को भेजी जावे। पत्रकार बरियत है।</p> <p>प्रकरण वा.रि.० है।</p>	<p>पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p> <p>सदस्य</p>

M